Page 1, line 1,—

for "Twenty-eighth' *substitute*—

"Twenty-ninth" (1)

[*Shri P. Ramachandran*]

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, standard part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI P. RAMACHANDRAN: Sir, beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill as amended be passed."

The motion was adopted.

16.20 hrs.

COAL MINES NATIONALISATION LAWS (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the Bill further to amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. RAMACHANDRAN): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration".

Hon. Members may recall that the coal industry was nationalised in two phases—coking coal mines were first taken over under the Coking Coal Mines (Emergency) Provision Ordinance 1971 on 17-10-1971 and thereafter nationalised under the Coking Coal Mines Nationalisation Act, 1972 with effect from 1st May, 1972. Similarly, the non-coking coal mines were taken over under the Coal Mines (Taking over of Management) Ordinance 1973 on 31st January, 1973 and subsequently nationalised under the Coal Mines Nationalisation Act, 1973 with effect from 1st May, 1973. A few amendments were made to both the Nationalisation Acts in September, 1973 to overcome certain difficulties encountered in actual practice. In April 1976, the Ordinance amending the Coal Mines (Nationalisation) Act was issued for the termination of illegal mining operations. This ordinance was replaced by Coal Mines Nationalisation (Amendment) Act, 1976. Even after this, it has been found that there is need to remove certain ambiguities as well as certain practical difficulties which have come to light during the implementation of the Nationalisation Acts. The present bill is intended to remove these difficulties and expedite the payment of the amounts to the claimants and the owners of the coal mines. The main amendments are as follows:—

(a) Certain amounts like dues on account of the sale of coal and coal products effected before the date of nationalisation of coking coal mines and coal mines, subsidies due for the pre-nationalisation period, and earnest monies and security deposits made by the owners of mines with the various authorities did not vest in the Government on nationalisation even though these were collected by the Government company upto a specified date and included in the owners' accounts after meeting the liabilities of the pre-nationalisation period. A doubt was expressed whether the wording of the Nationalisation Acts covered this exception to the assets vesting in the Government on Nationalisation. It is now proposed to clarify in relation to the said Acts that current assets vesting in the Government do not include such amounts.

[Shri P. Ramachandran]

16.23 hrs.

[SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

(b) The said Acts do not specify the interest rate admissible on the claimed amounts after the appointed day. In the absence of such a provision, the secured creditors have included in their claims interest at very high rates which, if allowed will deprive the lower priority creditors, mostly Government Organitions and small suppliers, of their accepted claims. It is, therefore, proposed to insert a new section in each of the said Acts to provide that the interest payable on such claims shall be at such rate not exceeding the rate of interest accruing on any amount deposited by the Commissioner of Payments with a nationalised bank or in the Public Account of India as required under the said Acts.

(c) It is proposed to empower the Commissioner of Payments—appointed under the Acts, (i) to authorise the persons appointed to assist him under the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 to exercise all or any of the powers exercisable by him under the Act. Such a provision already exists in the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973;

(ii) to transfer cases from one Assistant Commissioner to another or to himself;

(iii) to issue a notification inviting the owners, managing contractors and such other persons who are owners of any machinery equipment or other property which has vested in the Central Government or a Government company under the Act and which does not belong to the colliery owners, to apply for the residuary amount lying with the Commissioner of Payments after settling all the claims.

(d) It is proposed to legalise joint claims filed by workers through Trade Unions or through the officers under the Chief Labour Commissioner (Central) against the colliery owners.

Such of the claims as had not been time-barred on the relevant date when the management of the coal mines was taken over by Government and had been filed before the specified dates but had been rejected merely on the ground that such claims had become time-barred are proposed to be restored and dealt with.

It is proposed to prescribe a period of sixty days within which appeals against the decisions of the Commissioner of Payments have to be filed and to apply the relevant provisions of the Limitation Act, 1963 to such appeals. It is also proposed to extend the right of appeal to the colliery owners.

The proposed Bill provides that the period of three years after which undisbursed amounts shall revert to the general revenue account shall be counted from the date on which the last order for disbursement was made by the Commissioner of Payments and not from the date on which the amount was paid by the Government to the Commissioner.

With a view to dealing effectively with persons who indulge in illegal mining of coal it is proposed to amend sub-section (2) of Section 30 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 by enhancing the punishment of imprisonment from two years to three years and of fine from ten thousand rupees to twenty thousand rupees. This would thus be a cognizable offence and prompt action can be taken by the local Government authorities to deal with such cases.

Some of the amendments are of a procedural nature and some are intended to regularise the position as it already exists. In both the cases the

object is to simplify the procedure for payment of the amount and to expedite matters as much as possible. No additional expenditure on the part of the Government is involved.

With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration".

SHRI VINAYAK PRASAD YADAV (Saharsa): I beg to move:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st August, 1978". (3)

*SHRI K. RAMAMURTHY (Dharmapuri): Mr. Chairman Sir, the hon. Minister of Energy has introduced the Bill to further amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972 and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973.

At the very outset, I would like to point out that the former Government, which is being arraigned and railed day in and day out for allegedly having taken the country in wrong directions, was responsible for the nationalisation of the core sector of our economy, i.e., the coal mining industry. The entire credit for this far-sighted step must go to the untiring efforts of late Shri Mohan Kumaramangalam, one of the greatest sons of India, who saw to it that the coal-mines which were being exploited by the private sector were brought under the public sector for the good of the nation and the people.

The amendments proposed by the Janata Government are to be welcomed, particularly the amendment relating to the legalisation of joint claims filed by workers through Trade Unions or through the Officers against the colliery owners, and also for extending time for the preference of claims. It is common knowledge that the erstwhile mine-owners had not paid their dues to the Employees State Insurance Corporation and to the Employees Provident Fund. The arrears under these categories of dues from the employers run into crores of rupees. But, it is really regrettable that even after nationalisation such a thing should be allowed to persist in the public sector. The arrears of workers are mounting and after all now only book adjustments are to be made. I do not understand why this should happen now. I request that the hon. Minister should look into this and do the needful for eradicating such a pernicious delay in the matter of workers' dues in the coal-mine industry, which is now exclusively in the public sector. Just as you have Emergency Risk Insurance giving protection to the property of vested interests during times of trouble, the coal miners whose every day life is endangered under the bowels of earth, must be given special professional risk insurance facility.

I hope that I will be within the bounds of properiety if I refer to certain relevant issues concerning the working of the Ministry of Energy, especially when this House had no opportunity of discussing the Demands for Grants of this Ministry this year. The hon. Minister is fully aware that the Thermal Stations in Tamil Nadu in particular, and the Thermal Power Stations in Southern States in general, which are dependent upon coal, should have a minimum 15 days stock of coal. Now the coal stock in the Thermal Power Stations in Tamil Nadu has dwindled to three, four days' stock of coal. It portends serious danger. You know, Sir, that railway accidents have become the order of the day and the strikes have also become a regular

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri K. Ramamurthy]

feature. If due to any such reason the coal supply is delayed, then the Thermal Power Stations will have to shut down, resulting in serious dislocation of economic activities. On account of paucity of coal, if electricity generation comes to a standstill, all industrial production comes to a grinding halt. Agriculture will also be the victim. I appeal to the hon. Minister that he should take expeditious steps for replenishing the dwindling coal stocks of Thermal Power Stations in Tamil Nadu.

Before I proceed further, I would like to pay my compliments to the hon. Minister of Energy for having sanctioned the Second-Mine Cut in Neiveli Lignite Project.

Sir, I do not know whether I should call it a wrangle or an unseemly controversy betwen the Railway Minister and the Energy Minister. When we enquired the Railway Minister about inadequate supply of rail wagons for loading coal, he replied that on account of snail pace loading of coal from pitheads about 800 rail wagons have got stranded near the coal mines. I do not know who is responsible. I request that the hon. Minister of Energy should ensure that the coal, which according to him is getting piled up sky-high, is loaded on time so that its supply is not delayed unnecessarily.

The hon. Energy Minister hails from Tamil Nadu and though he was a member of different political parties at some time or the other, he is now in the Ruling Janata Party. The manner in which his own colleagues in the Council of Ministers are laying siege to his Department, I am afraid, may make him a Minister without portfolio shortly. The hon. Minister of Steel and Mines, Shri Biju Patnaik, has openly expressed that the Coal Mines must be brought under his custody so that his Steel Mills can work smoothly. The Agriculture Minister, Shri Barnala, feels that since hydel power projects are intimately connected with Irrigation Projects, they should ge brought under his tutelage. From such newspaper reports I come across. I am afraid that our Energy Minister may be usurped of his Departments and declared as the Minister without Portfolio. I hope that our Energy Minister has the strength to thwart such onslaughts.

In regard to the supply of coal to another vital sector, i.e. the cement industry, the Tariff Commission has fixed a uniform rate, whether the cement industry is located in deep South or in far east or in distant west. Whether the Singereni coal has to go to a cement factory located far away or the coal from Bihar has to travel a long distance, there is no discrimination in the rate. For example, the Cement factory in Thalayooth in Tirunelveli District in Tamil Nadu is the farther-most corner from the source of supply of coal. The cement industry, with this benefit of uniform rate available to them, could produce cement with some margin of profit for them. The increase in the coal price, which includes the railway freight hike for coal, has hampered their production pattern. Fifty to Sixty Members of Parliament have handed over a petition in this regard to the hon. Minister and I request the hon. Minister to look into this issue.

The coal mines were nationalised with the avowed objective of national good. The hon. Minister has accepted on the floor of this House that the Coal India Ltd. is incurring losses regularly to the tune of several orores of rupees. When the coal mines were in the private sector they were making profits. Why should they incur losses as soon as they have been brought in the public sector? Where is the dificiency and what is the cause—It is felt that nationalisation is a anathema for the Janata Government. Is such recurring loss in the Coal India Ltd.,

due to the complicity of bureaucrats? One begins to wonder whether the industrialists and the erstwhile mine-owners were showing profit after indulging in tax evasion. Coal mines are in the core sector and we cannot afford to make them sick. The Government of India should defeat such efforts, whether it is on the part of bureaucrats or on the part of the erstwhile owners who are keen to establish that the concept of public sector is bogus and not in the nation's interest. The Government of India should be committed to the growth and development of public sector in the country, which alone can save the posterity from depravity.

The hon. Minister has proposed modification in the penal provisions for illegal mining—more number of years of imprisonment and Rs. 20,000 as fine. The people who indulge in such activities are immuned to such legal provisions. We know the number of cases lingering on for years and years against the industrialists. A case was instituted against Shri Ramakrishan Dalmia in 1958 and till 1968 he could not be arrested. They are not afraid of facing legal punishment, if their purpose is served. All the loopholes in a legislation are exploited by them. I would like to suggest that the provisions of law must be implemented rigorously and vigorously.

I am sure that the hon. Minister in his reply to the Debate will refer to the points I have raised. I conclude my speech thanking you for the opportunity given to me.

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : सभापति महोदय, कोयला खानों के बारे में लाये गये इस संशोधन बिल को देखने से ऐसा लगता है कि ऊर्जा मन्त्रालय ने इतने गम्भीर विषय को बड़े हल्के ढंग से लिया है। इस बिल में पहला संशोधन यह है कि कोयला खानों के स्वामियों ने जिन रकमों का दावा किया है, उन पर ब्याज किस दर पर तय होगा। यह देखना चाहिए कि कोयला खदानों के मालिकों के पास ये खदानें चलाने से पहले कितना धन था, और अब 1972 और 1973 में इन खदानों को ले लिया गया, उस समय उन के पास कितना धन था। बरसों तक लूट कर वे गरीब से करोड़पति हो गये। इस के बावजूद यह तय किया गया कि ये खदानें ले लिये जाने पर उन्हें मुआवजा देना चाहिए, और उस मुआवजे पर सूद किस दर पर हो, इस के लिए हम लोगों के सामने यह संशोधन बिल लाया गया है।

1972 और 1973 में जब खान मंत्री, श्री कुमारमंगलम, ने इन खदानों को नेशनलाइज किया, तो उस समय सरकारी मशीनरी द्वारा इतनी तैयारी नहीं की गई थी कि उन खानों का टेक-ओवर ठीक ढंग से किया जाये। बल्कि उस समय बहुत सा सामान बर्बाद किया गया। बहुत सी मूल्यवान मशीनरी थी जिस को वे लोग उठा ले गए। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हुआ जब राष्ट्रीयकरण खदानों का हुआ उस के तुरन्त बाद में मजदूरों ने यह दावा किया कि हमारा कमाया हुआ वेतन मालिकों के पास बाकी है। मालिकों ने जो मजदूरों की भविष्य निधि की रकम उन के वेतन से काटी वह भी धनबाद के एस० आफिस में जमा नहीं हुई। उस का दावा किया तो सरकार ने एक कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। आज पांच वर्ष के बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई तो अब एक दूसरा बिल संशोधन के लिए आया है कि कमिश्नर साहब जल्दी से काम निपटा पाएं इस के लिए एक सहायक आयुक्त की बहाली का प्रावधान किया जाय। यह पांच वर्ष के बाद हुआ। अब दूसरी सरकार या यही सरकार पांच वर्ष के बाद फिर दो क्लर्क बहाल करने के लिए बिल ले कर आयेगी। इस तरह पांच वर्ष तक उन का भुगतान नहीं हुआ। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो खान मन्त्री हैं इन के मैं बराबर सम्पर्क में रहा और

[श्री रामदास सिंह]

तमाम कठिनाइयों को इन के पास लिखित और ज़बानी या सलाहकार समिति के जरिए रखता आ रहा हूं। इस के बाद में यह अमेंडमेंट बिल आज आया है। 1972-73 की एक महीने की तनख्वाह इन गरीबों की जो रोज कमाते और खाते हैं, उन की बाकी है और दूसरी तरफ उन मालिकों का मुआवज़ा बाकी है जो करोड़पति हैं। दोनों के लिए सरकार अदालत बैठा रही है, कानून में संशोधन कर रही है कि उन को किस तरह से तनख्वाह दें, उन का बोनस दें, उन का भविष्य निधि का पैसा दें और किस तरह से करोड़ों रुपया उन लोगों को दें जो चपरासी थे, जिन की औकात उस समय सौ दो सौ रुपये की नौकरी करने वाले की थी लेकिन जो अरबपति और करोडपति दस पांच वर्षों में बन गए खान मालिक बन कर के। आज दोनों के लिए मशीनरी तय की जा रही है। यह तमाम बातें होने के बाद में भी यह बिल इस रूप में लाया गया है।

एक चीज मुझे और कहनी है कि यह जो इललीगल माइनिंग चल रहा है इसके लिए, मैं ने स्पेसिफिक केसेज़ वहां के बताए कि किन किन कोलियरीज़ में किस किस रूप में यह चल रहा है। मैं ने सारा ब्यौरेवार बताने का प्रयत्न किया है। अब आप यह देखेंगे कि आज एक कानून यह बन रहा है कि 2 वर्ष की सजा का जो नियम था वह अब तीन वर्ष कर दिया जाय और दस हजार रुपये का जो जुर्माना है वह 20 हजार रुपया कर दिया जाए। यह तो वही आदमी कर सकता है जिस को इन मालिकों और इन खानों के विषय में कुछ भी जानकारी न हो। एक ऐसी ही चलकरी कोलियरी जो बेरमो फील्ड में है, वहां पर वहां के इन्सपैक्टर जनरल एन०एन० लाल ने एक दिन रेड किया था। यह बात 1976 की है। उस समय एमर्जेंसी थी। हम लोगों ने तो जेल के अन्दर अखबारों में ही पढ़ा था। हम ने वह देखा नहीं था लेकिन वह हमारे फील्ड की बात है। एक दिन की रेड में पचास हजार रुपये रोज़ की चोरी पकड़ी गई। यह सरकार ने रेडियो से एनाउंस किया, पेपर में निकला। सिर्फ एक जगह चलकरी कोलियरी में दामोदर के किनारे पर इतनी चोरी पकड़ी गई। तो दस हजार से जो 20 हज़ार रुपये के फाइन का नियम बनाया जा रहा है जब कि पचास हजार रुपए रोज़ की चोरी एक गांव में गैर-कानूनी खदान के द्वारा होती है तो यह तमाशा नहीं है तो क्या है? क्या इस संशोधन विधेयक के पास हो जाने के बाद, कोल से सम्बन्धित जो मिनिस्ट्री है वह दावे के साथ कह सकती है कि इस हथियार को लेकर इतने बड़े बड़े साधन सम्पन्न उद्योगपतियों से निपट सकेंगे? कभी भी नहीं। मैं पहले ही कहे देता हूं कि इस संशोधन विधेयक के द्वारा जितने भी हथियार दिये जा रहे हैं अधिकारियों को उससे भी अधिक प्रबल वे लोग हैं जोकि गैर कानूनी खदानें चला रहे हैं। पचास हजार रुपए रोज़ की चोरी पकड़ने के बाद श्री एन० एन० लाल, जोकि रेलवे में पुलिस इन्स्पैक्टर थे, उनकी 8 दिन के अन्दर बदली कर दी गई ताकि कोई इन्क्वायरी न की जा सके। उनकी बदली के बाद आज तक कोई इन्क्वायरी नहीं हुई क्योंकि गैर-कानूनी खदान चलाने वाले लोग, सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए लीडरों के रिश्तेदार थे। इसीलिए इस तरह की हरकत की गई। आज भी सारे विवरण बिहार सरकार में मुख्य मन्त्री और खान मन्त्री के पास पड़े हुए हैं। मैंने यह विवरण दिए हैं। आज भी उसी तरह से माण्डू थाने में जो दनिया स्टेशन है उसके नजदीक चार चार खदानें चल रही हैं। गिरिडीह कोयले की चोरी तो मशहूर है। डुग्धा के नजदीक में चन्द्रपुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक दो दो माइन्स चल रही हैं। वहां पर हफ्ते में दो मर्डर जरूर होते हैं। इतने बड़े शक्तिशाली वे लोग हैं। मैं तो मन्त्री

जी से कहने वाला था कि मान लीजिए एक मुर्गी को मारने के लिए आप ईंट पत्थर चला सकते हैं पर एक हाथी या बाघ को मारने के लिए भी अगर ईंट पत्थर चलाया जायेगा तो क्या उस का बध हो सकता है। यह बड़े बड़े करोड़ों की सम्पत्ति रखने वाले कुकर्मी लोग आज भी लोगों का खून पी रहे हैं, आज भी कोयला खदान क्षेत्रों में किसी अफसर या किसी मजदूर नेता के बोलने की हिम्मत नहीं है। दो तीन लोग जो बोले उनका दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। तो इस तरह के जो शक्तिशाली धनी लोग हैं जो अवैध ढंग से खदान चला रहे हैं उनके लिए हमारी जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि हम समाजवादी व्यवस्था लायेंगे, वह एक संशोधन विधेयक लाती है कि दो वर्ष की जगह पर तीन वर्ष कर दिया जाये और 10 हजार की जगह पर 20 हजार फाइन कर दिया जाये उससे क्या होगा ? उनका रोज 50 हजार का गैर कानूनी खदान चलाने का खर्चा है फिर आप 10-20 हजार की बात कहते हैं और उसके लिए भी पांच साल तक मुकदमा चलेगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सारी बातें आपके सामने हुई हैं कि आपकी सारी मशीनरी बी सी सी एल और सी सी एल फेल हो गई, जब गैर कानूनी खदान चलाने वाले गुण्डा तत्वों को घेर लिया तो आज वहां पर पुलिस बिठाई जाती है। इसमें 10-5 हजार फाइन से क्या होगा ? मैं तो यह सलाह देना चाहता हूं कि इस प्रकार का काम जो लोग करते हैं उनकी बिना शर्त, जितनी भी जायदाद हो, देश भर में जितनी भी प्रापर्टी हो उसको जब्त कर लेना चाहिए। जब इस प्रकार का कानून लाया जाएगा तभी उसका कुछ असर हो सकता है। वरना वही बात होगी कि कांग्रेस ने पांच खदान में चोरी करवाई, हम एक खदान कम करके चार खदान में चोरी करवायेंगे। मैंने कोल विभाग को पत्र में सुझाव दिया था कि इन खदानों में जो बहाने लाये जाते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं चल सकती है तो हमारे यहां छोटा नागपुर बेल्ट में कोयला मिलता है, दस बीस फीट पर मशीनरी नहीं चल सकती है लेकिन 6 महीने मैनुअल तरीके से मजदूरों से काम चलायें उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हो सकती है।

सभापति महोदय, सन् 1971-72 से मैं ढोढ़ी कोलरी को लेकर लड़ता आ रहा हूं कि वहां पर लाखों रुपए की चोरी है और आज मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने बड़े हल्के ढंग से उसकी छानबीन करवाई। जिस समय मैं वहां से निर्वाचित हुआ था तब से आज 9 लाख रुपए मन्थली कम पेमेंट होता है जबकि काम उतना ही होता है, उत्पादन उतना ही होता है। ढोढ़ी कोलरी में इस तरह की बात चल रही है। इतना ज्यादा करप्शन है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जब आप देश के इने गिने धनी मानी खूंख्वार लोगों को पकड़ने के लिए चल रहे हैं तो आप अपने साथ कौन से हथियार लेकर चलना चाहते हैं। दस बीस हाजर रुपए जुर्माने की क्या बात है, यह तो रोज का उनका नाश्ता है : रोज लाखों टन कोयला चोरी हो रहा है उसको आप किस तरह से रोक पायेंगे ? दूसरी तकलीफ यह है कि एक ओर आप टाटा, बिड़ला, चनचनी, राम विलास जैसे मालिकों के मुआविजे के लिए आदलत खोल रहेहैं कि उनके रुपए का कितना सूद दें और दूसरी ओर अगर गरीब मजदूरों की 15 दिन की तनख्वाह बाकी है तो उसको भी 6 साल के लिए अदालत में ला रहे हैं कि उसको 15 दिन की तनख्वाह दें या न दें। यह बहुत कमजोर नीति है और जनता पार्टी की सरकार से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। राम विलास सिंह, जो पहले एक चपरासी था, आज कई खदानों का मालिक हो गया है और लखपति नहीं बल्कि करोड़पति हो गया है। इसी तरह से अमृतलाल, जटा शंकरचनचनी की बात है

[श्री रामदास सिंह]

वह पहले एक मजदूर के रूप में ईंटें ढोने का काम करता था, वह आज अरबपति बन गया। बिरला, टाटा जैसा वह अरबपति—लखपति और करोड़पति उसे कहना ठीक नहीं होगा—बन गया है और ~~राम-विलास~~ सिंह और ऐसे लोगों को मुआविजा देने की बात आप सोचते हैं। मुआविजा कितना दिया जाए, उस पर सूद कितना दिया जाए, ऐसी ही चीजें सरकार के ध्यान में हमेशा आती है। एक चीज बाकी रह जाती है, कि सारे भारत के धन में हिस्सा कितना दिया जाय। इन सारी बातों को ले कर के मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि यह कठिन विषय है और इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें। कांग्रेस 10 रुपया लूटती थी और आप 9 रुपया लूटते हैं। पहले 50 खदानें चल रही थी और आप ने दो खदान कम कर के 48 कर दी और अब 48 चल रही है। इस तरह से आंसू बहाने वाली राजनीति से काम नहीं चलेगा। आप दो चार एमेंडमेंट्स ले आए और कह दिया कि पहले 10 रुपये दे रहे थे और अब 9 रुपये कर दिया, तो कांग्रेस 10 रुपये की चोरी कर रही थी और आप 9 रुपये की चोरी कर रहे हैं, इन बातों से काम नहीं चलेगा और मैं कहता हूं कि आप को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। यहां आप के अधिकारी बैठे हुए हैं। कौन अधिकारी कह सकता है कि जो गैर कानूनी माइन्स चल रही हैं उन को बन्द करवा देंगे। किस में इस की हिम्मत है, वह बतला दें। मैं आज यह बात इस लोक सभा में कह रहा हूं कि आप ने ये संशोधन किये हैं, इस हथियार से कभी भी अवैध माइनिंग बन्द नहीं होगी और इन से आप का काम चलने वाला नहीं है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपील करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए और जड़ खोद कर इस समस्या से निपटा जाए और जो राष्ट्रीय सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, उस को बचाया जाए और कड़ी से कड़ी मशीनरी और कड़े से कड़े साधन उन को उपलब्ध कराए जाएं। इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री दुर्गाचन्द (कांगड़ा) : सभापति जी, यह जो कोलमाइन्स नेशनेलाइजेशन (एमेंडमेंट) बिल, 1978 है, इस का मैं स्वागत करता हूं।

मंत्री महोदय ने इन एमेंडमेंट्स को लाकर पिछला जो कानून था 1972 और 1973 का, उस में जो क्लाजेज में एम्बीग्यूटीज थीं, उन सब को दूर कर दिया है और मैं समझता हूं कि अब बहुत इफेक्टिव तरीके से कोलमाइन्स का काम हो सकेगा। पिछले कानूनों में जो कुछ क्लेरीफिकेशन की जरूरत थी, कुछ एम्बीग्यूटीज को रिमूव करने की बात थी और इसी तरह की और बातें थीं, जिन को इस बिल में साफ किया गया है। इस में यह बात लिखी गई है कि वर्कर्स के जो ज्वाइन्ट क्लेम्स हैं, उन को लीगलाइज किया गया है। पहले रेट आफ इन्ट्रेस्ट डिफाइन्ड नहीं था, उस को डिफाइन किया गया है। जो नेशनलाज्ड बैंक्स है या गवर्नमेंट जिन से लोन लेती है और इंस्टीट्यूशन्स को जिस रेट पर दिया जाता है, वही रेट होना चाहिए। इस में एक ऐसी बात थी कि जिस वक्त नेशनलाइज किया गया था कोलमाइन्स का, जो वहां पर कई किस्म का लेन देन था, और जो ओनर्स थे उन की जो लाइबीलिटीज थीं, उन को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया गया था कि क्या नेशनलाजेशन की जो आथारिटी है, गवर्नमेंट आफ इन्डिया, उस को वह देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। उन बातों को भी इस में क्लेरीफाई कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि राइट आफ अपील भी वर्कर्स को दिया गया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि वर्कर्स की बुरी हालत थी और नेशनेलाइजेशन वाले एक्ट को जब मैंने देखा और इन एमेंडमेंट्स

को देखा, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पता नहीं पिछले पांच साल तक यह कैसे आपरेट हुआ होगा। आप्रेशन कैसे हुआ होगा, और वर्कर्स को कितनी तकलीफें हुई होंगी, ये सारी बातें इस बिल में दूर कर दी गयी हैं। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी भी अनोथराइज्ड और इल्लीगल माइनिंग चल रहा है, कई लोग ऐसे हैं जो हजारों और लाखों रुपये कमा रहे हैं। इन बातों के लिए तो इसमें प्रोविजन किया गया है। पहले दो साल की सजा थी, उसे बढ़ा कर तीन साल की कर दी गयी है। पहले बीस हजार रुपये जुर्माना था, उसे बढ़ा कर तीस हजार रुपये कर दिया गया है। नेशनेलाइजेशन के मतलब में जो एम्बीगुइटी थी, वह दूर कर दी गयी है। इसको ठीक तरीके से क्लेरिफाई कर दिया गया है। इससे वर्कर्स को फायदा होगा। इसका मतलब होगा कि नेशनेलाइजेशन से कोल माइंस का मैनेजमेंट ठीक से होगा, जो कोल्स की कमी है, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन इन मकसद में सरकार कामयाब नहीं हुई है। मैं तो समझता हूं कि कोल की शार्टेज हर जगह चल रही है। अभी तक सरकार का जो मंसा था कि नेशनेलाइजेशन करने से कोयले की कमी दूर करेगी, वह चीज सरकार ने नहीं की है। अभी भी कोयला ब्लेक मार्किटिंग में बिकता है। कई लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। आम जनता को नेशनलाइजेशन से जो फायदा पहुंचना चाहिए था, वह नहीं पहुंच रहा है। सरकार को चाहिए कि वह इन सब बातों को देखे। नेशनेलाइजेशन फार दि सेक आफ नेशेनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इससे पब्लिक को फायदा पहुंचना चाहिए। अगर हमारे इस बिल के लाने से, इसमें जो अमेंड-मेंट्स हम लाये हैं उससे भी सोसायटी को फायदा नहीं पहुंचता है तो हमारे आब्जेक्टिव्ज पूरे नहीं हो सकते हैं। सरकार को चाहिए कि वह अपने इंतजामिया ढांचे को ठीक करे जिससे आज कंज्युमर्स को जो कोयले की शार्टेज है वह दूर हो।

जहां तक इस अमेंडमेंट बिल के लाने का मकसद है, उसका हम स्वागत करेंगे और सारे हाउस को करना चाहिए क्योंकि इसमें वर्कर्स की बात कही गयी है और बहुत सारी ऐसी बातें कही गयी हैं जिनसे सरकार की लायेब्लिटी या बर्डन कम होगा। इसलिए इस बिल का मैं स्वागत करता हूं।

डा० राम जी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कोयले के राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में मुझे केवल दो-तीन बातें कहनी हैं। इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पूर्व कोयला जिस कीमत पर मिलता था, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमतें बढ़ रही हैं। इससे जनमानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। अभी आज के समाचार पत्र में समाचार आया है कि सी० सी० आई० एल० का लास 260 करोड़ रुपये तक गया है। इसके सम्बन्ध में भी काफी आलोचना हुई है। अखबारों में बताया गया है कि यह जो क्षति हो रही है इसको कम किया जा सकता है। खानों में कुप्रबंध के कारण यह सब हो रहा है। जैसा अभी श्री रामदास सिंह बाबू ने बताया कि अभी भी कोयले की खानों से अवैध रूप से कोयला चोरी हो रहा है। यह खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी ने सजा को कड़ा कर दिया है या करने का प्रयास किया है। लेकिन उस क्षेत्र के जो अनुभवी हैं, उन्होंने बताया है कि यह सजा बहुत कम है। बिहार जो कोयले का घर है, वहां बहुत बड़ी मात्रा में कोयले की चोरी बढ़ रही है। उससे वहां आतंक और अराजकता का क्षेत्र बन गया है।

17 hrs.

आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में धनबाद में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

[डा० राम जी सिंह]

के कोयला संघ के जो अध्यक्ष थे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके साथ साथ वहां इंटर यूनियन राइवलरी है और अवैध रूप से कोयला निकाला जाता है स्मगलिंग भी चलता है। इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो सजा का प्रावधान किया गया है यह बहुत कम है। आपको इसके लिए कुछ विशेष प्रबन्ध करना चाहिये। मैं समझता हूं कि राज्य की विधि व्यवस्था कमजोर है इस वास्ते इस तरह की बातें हो रही हैं। यह कारण हो या कोई भी कारण हो कोयले की जो अवैध चोरी होती है इसको रोकने में वे अक्षम साबित हो रही हैं। इस अवैध चोरी को रोकने के लिए मैं समझता हूं कि एक विशेष प्रकार की सुरक्षा पुलिस का इंतजाम होना चाहिये और अगर वह है तो मैं समझता है कि वह बहुत ही अक्षम है और उसको आपको सक्षम बनाना चाहिये। चोरियां पहले से ज्यादा हो रही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी माननीय सदस्य ने दिया है।

कोयले का जब आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया है तो क्या कारण है कि टाटा को छोड़ दिया गया है। यह कहा गया है

"Tata mines have been excluded on the ground that the mines being captive mines, supply coal only to TISCO."

टाटा पर यह मेहरबानी क्यों की गई है यह मैं नहीं समझ पाया हूं। टाटा अच्छा या बुरा पूंजीपति है इसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जब आप संशोधन कर रहे थे तभी इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये था या अब आपको कर लेना चाहिये। जो बची हुई इस तरह की दूसरी खानें हैं उनका भी आपको चाहिये था कि आप राष्ट्रीयकरण कर देते। कुमारमंगलम साहब ने जब खानों का राष्ट्रीयकरण किया था तब कुछ खानें बच गई थीं। यह एक कलंक की बात थी। उस कलंक को धोने के लिए आप कदम उठा सकते थे और संशोधन ला सकते थे। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप सोचें।

जो मजदूरों का बकाया है व्यक्तिगत मालिकों के पास भविष्य निधि का या उनके वेतन का उसका भुगतान कालबद्ध ढंग से किया जाना चाहिये। अगर उसका प्रबन्ध नहीं किया गया तो कुछ तो मजदूर मर गए हैं और कुछ और जब तक आप भुगतान की व्यवस्था करेंगे मर जाएंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि इस ओर आपका अविलम्ब ध्यान जाना चाहिये। हमारे अपने क्षेत्र संथाल परगना में लालमटिया में आठ कोयले की खानें हैं। वहां से डेढ़ हजार मजदूर हट गए थे। उनके पैसे के भुगतान का आज तक कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है। उन में से कई मर भी चुके हैं। मरे हुए लोगों के जो बाल बच्चे हैं उन्होंने हमें बताया है कि उनके पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। जिन मालिकों को आपको मुआवजा देना है इसके पहले कि आप उसे अदा करें इन लोगों का भुगतान आपको पहले करना चाहिये। उन्होंने खानों का जिस गलत ढंग से उपयोग किया, नियमों और कानूनों का पालन करते हुए जिस तरह से खानों का उनको एक्स-प्लायटेशन करना चाहिये था नहीं किया उन के खिलाफ भी आपको कार्रवाई करनी चाहिये। टाइम बाउंड प्रोग्राम बना करके आपको मजदूरो के बकाये का भुगतान तीन महीने में या चार महीने में करने की व्यवस्था करनी चाहिये। अच्छा होता अगर इस संशोधन विधेयक में आप वह समय भी निर्धारित कर देते जिसमें यह भुगतान होना है।

कोयले के राष्ट्रीयकरण को ले कर लोगों के मन में बड़ी शंका है क्योंकि रोज ब रोज घाटा बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं

कि इसके लिए आपको एक उच्चस्तरीय मूल्यांकन समिति का गठन करना चाहिये जो पता लगाए कि क्या कारण है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कीमतें कोयले की बढ़ती जा रही हैं। यह हाई लेवल इवैल्युएशन कमेटी आपको बताए कि यह कीमत क्यों बढ़ रही है, घाटा क्यों बढ़ रहा है और इसको कम करने के सुझाव दें। उसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अच्छा हो कि आप एक कम्प्रिहैंवि एमेंडमेंट बिल लाएं। अभी अगर कोल माइंज नेशनलाइजेशन का एक सम्पूर्ण बिल लाया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। सी० आई० एल० का बकाया बहुत सी फर्मों में है। मंत्री जी ने ठीक कहा है कि उनका बकाया देना चाहिये। 99 करोड़ रुपये के करीब बकाया है। तो यह भी कमी है। अभी अखबारों में आया था कि कोयले के लिये गाड़ियां नहीं मिलती हैं, माल के डिब्बे नहीं मिलते हैं। इस बारे में स्टील और माइन्स विभाग, रेलवे विभाग और कोल और एनर्जी विभाग में कोआर्डीनेशन होना चाहिये ताकि एक दूसरे पर छीछालेदार न हो और सचमुच में काम बन सके।

यह जो कोयले के सम्बन्ध में अभी आया है कोकिंग कोल और नान-कोकिंग कोल के विषय में तो बहुत जगह ऐसी खानें हैं जहां भंडार हैं, इस बारे में मैंने अपने क्षेत्र ललमटिया की चर्चा की है पत्रों के द्वारा। वहां राष्ट्रीयकरण के पूर्व 8 खानें थीं सन्थाल परगना में। लेकिन अभी एक खान चल रही है जहां 152 कर्मचारी काम करते हैं। तो जहां इतनी बेकारी है और कोयले का भंडार है, साथ ही कोयले की मांग है फिर आप उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयास क्यों नहीं करते हैं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि आपने उद्देश्य और कारण के (घ) भाग में बताया है कि कोयला खानों के स्वामियों के विरुद्ध व्यवसाय संघों के माध्यम से या मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के अधीन अधिकारियों के माध्यम से कर्मकारों द्वारा फाइल किये गये संयुक्त दावों को वैध बनाने का प्रस्ताव है। तो आप यह कैसे ला रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अब इसको कम करना चाहिये और इसके लिये आपको ऐसा संशोधन लाना चाहिये कि विभाग को ही अधिकृत कर देना चाहिये ताकि फैसला मजदूरों के पक्ष में किया जाय।

इन शब्दों के साथ तथा अपने सुझावों के साथ आपके विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि आप इन सुझावों को ध्यान में रख कर आगे जब कोयला राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक लायेंगे तो उसमें बचे हुए लोगों को भी टाटा जैसे कोयले के जमींदार हैं उनको भी आप शामिल कर लेंगे।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): Mr. Chairman, Sir, I want to say that nationalisation for nationalisation's sake is not good. We would welcome it if it would come in a comprehensive way. This is a piece-meal Bill.

It would be seen from the report of the Public Undertakings Committee that almost all the companies of Coal India are running at a loss. It is surprising. It has also been stated in the Report of the Public Accounts Committee that coal worth over Rs. 3 crores cannot be accounted for. It might have been stolen through the medium of contractors. Some of my friends who have just spoken said that smuggling is going on and coal would have certainly gone to other places through smuggling. Officers could not account for it. This was done in collaboration with the contractors and the Officers.

Our hon. Minister, I believe, is very sincere in his purposes, but mere sin-

[Shri Dhirendranath Basu]

cerity does not bring fruits. Unless the whole thing is reorganised, it will run at a loss. Two or three years ago there were heavy accidents in Chasnala and other mines. The members of the families who died in the accidents have not yet been provided with jobs. The compensation has not been paid to them in full, whereas the minister has come forward for making payment of compensation to the owners. In page 5 clause 10 of the Bill reads:

> "In section 2 of the Coal Mines (Nationalisation) Act (hereinafter referred to as the Coal Mines Act) in clause (h), for sub-clause (xii), the following sub-clause shall be substituted ...
>
> (xii) all other fixed assets, movable and immovable, belonging to the owner of a mine, wherever situated, and current assets, belonging to a mine, whether within its premises or outside."

They have almost taken away all their assets from the coal mines. They have got only the cages, nothing else. Now they will get huge amount of compensation for land and all that. The workmen who have been thrown out of employment as a result of nationalisation in 1971 must be compensated. Their compensation has not yet been paid in full in this Bill, provision should have been made for payment of compensation provident fund and other dues to the workers who have been thrown out of employment. These amounts should be paid to them in full.

Heavy smuggling is going on through the contractors, as result of which many of the industries, small and medium, in the eastern region are not getting supply of coal regularly. There is shortage of coal and shortage of power. Due to shortage of coal, most of the capacity is not being utilised by the small and medium industries, as a result of which these industries had to lay off many employees. So, arrangements should be made in such a way that the loopholes are plugged. During transit, coal should not be stolen. These contractors were appointed 5 or 7 years ago and their contracts, have always been renewed. Why not appoint new contractors in their place? These contractors in collaboration with the officers are stealing coal. Otherwise why should the coalmines run at a loss? Almost all the government undertakings are running at a loss. When industries are run by private people, they earn profits. But why should these big companies run at a loss after nationalisation?

In page 5 of the Bill, the minister has proposed that the Commissioner will settle these things. I strongly object to it. One of our hon. friends, Dr. Ramji Singh said that a high level committee should be appointed for this purpose. I quite agree with him that we should not be dependent upon one person, however honest he may be, and there should be a high level committee who will settle the disputes. The payments are to be made on their recommendations, so that there may not be any loophole.

So far as the coalmines in Dhanbad area and Asansol area are concerned, they are not only running at a loss but there is mismanagement. The Director of Mines Safety sits at his headquarters in Dhanbad. He is sitting tight in his office as a Governor. He does not visit the coal mines even once a month. It was reported that during Chasnala disaster, he went there only on the following day.

Chasnala was very near to Dhanbad. But he could not go there on the same day. He should have gone there within a few hours. This is the position of the officer, the Director General of Mines Safety. The hon. Minister has come forward to give him more powers to deal with such matters. There

should be also an expert committee with the Director General of Mines Safety as the Chairman and they must look to the safety of the workmen of all coal mines. Due to negligence of officers, due to negligence of authorities, due to mismanagement of authorities, these coal mines are running at a loss and even accidents happen almost every month. Such accidents should not recur. If the Director General of Mines Safety visits all the places and finds out ways and means of avoiding the recurrence of such accidents, we would welcome it. The Report on Chasnala is with you. What does the Report say? Thousands of people died, thousand of workmen died. What does the Report say? Due to inefficiency, due to incorrect finding, due to the mistake of the Superintendent and the top officers, the employees were allowed to go down. That should not have been done, and as a result, such serious accidents happen. So, I find that there is this difficulty. The Coal Mines Minister is our friend, Shri Biju Patnaik, and the Energy Minister is Shri Ramachandran, our esteemed friend.

MR. CHAIRMAN: Mr. Basu, he is also the Coal Minister.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: Not the entire coal mines. There should be close coordination between the two.

There is another point. Due to shortage of wagons coal cannot be sent here and there, it cannot be dispersed. Dispersals are withheld by almost all the companies due to shortage of wagons. What can the railway authorities do? What is the coordination between the Mines Minister? So, I request the Coal Mines Minister to look into the matter very carefully and see that proper coordination is there so that we can expect efficient service from them. If you do not do that, then what will be the result? The result will be not only recurring loss every year—the Central Government will lose crores of rupees—but the coal mines will be deteriorated. There has been deterioration after nationalisation. Nationalisation was done for the benefit of the people. But instead of benefiting the people, what has happened is, the cost has been increased by 50 per cent. People are not getting coal at reasonable prices. They are getting at a price 50 per cent higher within these few years. I do not blame you only for this. I do not blame the present Minister only for this. But why should the cost increase after nationalisation? Why should not the public get coal at reasonable prices? You must find out a method, to see that the prices are not raised. If you go through the figures of price increases, you will be surprised to find where we are. Prices are increasing daily. This morning, the price of milk has been raised by the Delhi Milk Scheme and by the hon. Minister of Agriculture and Irrigation. Everbody objected to it.

If there is proper and efficient management and if you can see that the cost of production of coal is reduced, then and then only can you stop the increase in price. You can even decrease the price, if the heavy expenditure is cut down. So many officers are there, who are not needed. Please examine this.

Our hon. Minister has gone to asansol and some other coal mine areas a few months ago. I am glad he is trying to do something; but such piecemeal actions will serve no useful purpose. He should come forward with a comprehensive bill, so that the purpose of the bill may be served. Thank you.

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति महोदय, जो कोयला खान राष्ट्रीयकरण विधियां (संशोधन) विधेयक पर यहां चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। कोयला खान वृहत्तम सार्वजनिक

[श्री युवराज]

प्रतिष्ठानों में से एक है और इस पर जनता की या सरकार की 18 अरब रुपए की पूंजी लगी हुई है । जो संशोधन विधेयक यहां पर रखा गया है उससे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो मजदूरों की मांगों के लिए, उनके क्लेम्स का जो निपटारा होगा उसमें मदद पहुंचाने के लिए भी प्रावधान प्रस्तुत किये गये हैं लेकिन साथ-साथ ऐसा लगता है कि जो कोल ओनर्स हैं उनकी मदद के लिए भी यह बिल लाया गया है । इसलिए मैंने यह बात कही है कि टाइम बार होने की वजह से जिन लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो गए उनको दोबारा रेस्टोर करने के लिए आपने संशोधन प्रस्तुत किया है । एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोयला खान के मालिकों ने करोड़ों रुपए की कमाई की और उससे दूसरी सम्पत्ति भी खड़ी की, इसके बावजूद आपने कोलियरी ओनर्स के लिए एक्सटेंशन के रूप में प्रोटेक्टशन देने के लिए इस बिल में प्रावधान किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जिन कोल माइन्स का आपने नेशनलाइजेशन किया उसमें जो कुछ सन्देह रह गये थे या कोलियरी ओनर को जो कुछ घाटा हो रहा था और मजदूरों के दावे के सम्बन्ध में जो कठिनाई थी उन तमाम बातों के निपटारे के लिए आपने बिल प्रस्तुत किया है । आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एक होल्डिंग कम्पनी बनाई गई पांच छः जो उसकी कोल फील्ड्स है उसका दफ्तर कलकत्ते में रखा है जिसका 80 लाख रुपए साल का एस्टेब्लिशमेंट है । उसके जितने अफसर हैं जो पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे वे अब मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन हो गये हैं । एक-एक क्षेत्र ले कर सभी का एक साम्राज्य बन गया है । आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जहां कोल इंडिया को 74–75 में 75.28 करोड़ का घाटा हुआ था इस बार 77–78 में 88 करोड़ का घाटा होगा । जहां पर कोयला खान के मालिक करोड़ों रुपया कमाते थे और सम्पूर्ण देश में अपनी पूंजी लगा कर बड़े-बड़े उद्योग चलाते थे जब सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तो उसके अफसर तो करोड़पति बन गये, उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो गया पर जहां करोड़ों रुपए की आय होती थी कोल इंडिया बना कर वहां 88 करोड़ रुपए का हम घाटा दे रहे हैं। कोयला इतना सार्वजनिक महत्व रखता है कि उसके बगैर रेल नहीं चल सकती है, उसके बगैर थर्मल पावर प्लान्ट नहीं चल सकता है, जिस कोयले का इतना मूल्य है सार्वजनिक जीवन के विकास में आज उसके प्रबन्ध में ऐसी दुर्व्यवस्था हो उससे हम सारे लोग चिन्तित हैं । इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह जो नौकरशाही वहां बैठ गई, उसके कारण घाटे पर घाटा हो रहा है । 1800 करोड़ रुपया हम ने इस पर इनवेस्ट किया है और आज भी हमको इसमें घाटा हो रहा है ।

इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत आप देखिए । इस हैवी इंडस्ट्री में 200, 300 फीट नीचे जा कर मजदूर काम करते हैं और आज उनकी वर्किंग कंडीशन्स को आप देखिये कि कितनी खराब हैं उनकी सुरक्षा की कोई गारेन्टी नहीं है । चासनाला की चर्चा हमारे बसु साहब ने की । उनके प्राणों की, उनके स्वास्थ्य की और उनकी सुरक्षा की कोई गारेन्टी नहीं है और दूसरी तरफ आप एक-एक आफिसर को देखिये

वेस्टर्न कालरी के बारे में मैंने मंत्री जी से कहा था। नागपुर वेस्टर्न कोलफील्ड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमन श्री बलराम हैं। वहां पर उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। जो परचेजेज की हैं और जो मशीनें मंगाई गई हैं उनमें बिल्कुल मनमाने ढंग से भ्रष्टाचार किया है और उसको कोई देखने वाला नहीं है। दो महीने के बाद वे रिटायर हो जायेंगे। जो मजदूर वहां पर काम करने वाले हैं, जिनके प्राणों की और स्वास्थ्य की कोई गारेन्टी नहीं है, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। जो सबसे भ्रष्ट अफसर हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बिहार में धनबाद की कोलरी बहुत रिच है। रांची और वहां के जो मजदूर हैं उन्होंने पांच पांच रुपए तमिलनाडु और आन्ध्र में जो साइक्लोन आया था, उसके लिए दिए हैं। प्रत्येक मजदूर ने पांच पांच रुपया दिया था, और वहां के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 10 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड के लिए जमा किया गया था। वह मजदूरों का पैसा था लेकिन मुझे पता है कि वह 19 लाख रुपया उस फंड में जमा नहीं किया गया है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? इन तमाम कारनामों के चलते हमारी इमेज जनता के सामने क्या बनती है? सबसे बड़ा उद्योग सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला उद्योग आज घाटे में चलता है और बिहार, बंगाल में बिजली की कमी आज है जिससे सारे उद्योगों पर असर पड़ रहा है और बहुत से उद्योग बन्द हो रहे हैं। हमारे पास कोल है और जितना कोल सारे देश में होता है, उसका 70, 80 फीसदी अकेले बिहार में पाया जाता है। आज बिहार में कृषि चोपट है और छोटे-बड़े उद्योग बन्द हैं क्योंकि बिजली की कमी है। बिहार में कोल है लेकिन थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। इसलिए यह जो बिल है, यह पूंजीवादी बिल है। कोल-माइन्स ओनर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको मुआवजा मिले, जो टाइम बार्ड हो चुका है, ऐसी व्यवस्था इस बिल में है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी प्रार्थना आपसे करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री श्री कृष्ण सिंह (मुंगेर) : उपसभापति, महोदय, यह कोल माइन्स नेशनेलाइजेशन (संशोधन) बिल, जो मंत्री जी सदन में लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और तीन, चार बातें इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा।

जिस वक्त श्री कुमारमंगलम ने इन खानों का राष्ट्रीयकरण किया था, उस वक्त सचमुच में उत्पादन में बड़ा ह्रास हो रहा था और मजदूरों का बहुत शोषण हो रहा था और अनसाइंटिफिक कटाव से राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान किया जाता था। राष्ट्रीयकरण हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ। जो मुनाफे की प्रवृत्ति थी, जो मुनाफे की लूट थी, वह बन्द हुई लेकिन जिस बड़े काम के लिए राष्ट्रीयकरण का हमारा उद्देश्य था, हम को यह देखना पड़ेगा कि क्या उसकी पूर्ति हुई है, क्या हमारा जो उत्पादन घट रहा था, वह बढ़ रहा है, क्या उत्पादन का खर्चा, जिस हिसाब से मालिक लोग करते थे, जितना कास्ट आफ प्रोडक्शन आता था, आज भी उसका वही स्तर है या उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसमें ज्यादा लूट है, यह देखना पड़ेगा। मजदूरों के जीवन स्तर में परिवर्तन आया है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। मजदूरों को मुआवजा

[श्री श्रीकृष्ण सिंह]

मिल यह भी हम चाहेंगे। लेकिन पांच साल के बाद पुराने मालिकों को मुआवजा देने के लिए जो बिल लाया गया है, वह मुआवजा तो देना ही है। वह आज दें या कल दें। उस वक्त बड़ा हल्ला था और लोगों का दिल बहुत ही दुःखी था। वे सब अशांति फैला रहे थे। उनकी तरफ से अखबार वाले भी बड़ा पक्ष ले रहे थे। आज वे मालिक चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है। मैं समझता हूं कि उस वक्त कस्टोडियन से मिल कर उन्होंने अपना सारा मकान, सामग्री, सब चीजें बचा ली थीं और दूसरी जगह कहीं न कहीं कारोबार में डाल दी थीं। जो छोटे लोग हैं वे मुआवजा के लिए तरस रहे हैं। अरोड़ा, साहब, चंचल साहब, वोहरा साहब इन सब लोगों को कोई फिक्र नहीं है। करोड़ों के मालिक बने बैठे हैं। अब यह मरहम पट्टी करना चाहते हैं। आप किनके जख्म पर मरहम पट्टी करना चाहते हैं? छोटे लोगों का आप उपकार करें ताकि वे रिहेबिलिटेट हो सकें और दूसरे काम कर सकें।

जब कस्टोडियन आया था तो उसने बहुत जोर से कहा था कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स हैं हम उन सबको काम पर ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या? ऊपर से कैजुअल लेबरर्स थोप दिये गये, परमानेंट बना दिये गये। जो असली कैजुअल लेबरर्स थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, बिलासपुर के वे सब जब लौट कर गये तो छंटे ही रह गये। बंगाल में चलने वाली जितनी कोयला खदानें थीं उनका यह सब हाल हुआ। प्रभावित हुये बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग।

इतना सब चलने के बाद सभापति महोदय, जहां कोयला होता है, वहां कोयला नहीं मिलता है। बड़ी बिडम्बना है। चिराग तले अंधेरा। बिहार में इतना कोयला होता है लेकिन नार्थ बिहार और साउथ बिहार में कोयला नहीं मिलेगा। यह बात समझ में नहीं आती। को-आप्रेटिब्ज के नौजवानों के, अनएम्प्लाईड ग्रेजुएट्स के जिम्मे कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन दे कर के शहरों में कोयले की आपूर्ति की जा सकती है। आजकल वे ही ठेकेदार लोग जो लायसेंस ले लेते है, वही इस काम को कर रहे हैं। कहीं भी जा करके देख लीजिए, कोयला ब्लैक में मिलता है। क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। एक-दो प्राइवेट आदमी ट्रक लेकर आते हैं। उन्हें तीन-चार दिन पड़े रहना पड़ता है। इसलिए वे कुछ ज्यादा दे कर जल्दी से कोयला ले कर चले जाते हैं। इससे कोयले के दाम बढ़ते जाते हैं। एक साल हो गया जनता सरकार को आये लेकिन कोयले की डिस्ट्रिब्यूशन प्रणाली ठीक नहीं हुई। हर राज्य में, सभी जिलों के हेडक्वार्टर्स में कोयल की आपूर्ति करने के लिए अभी तक कोई सिस्टम आप नहीं बना सके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यह काम करेंगे। भ्रष्टाचार अभी तक बन्द नहीं हुआ है। 1972 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के बाद कुछ ऐसे कोयला खदानों को सरकार ने कानून के जरिये से बन्द कर दिया जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने लायसेंस दिए थे। यह काम एमरजेंसी के जरिये से किया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि तुमको लाइसेंस देने का अधिकार नहीं है। इस तरह से उन खदानों का काम बन्द होने से एक लाख लोग बेकार हो गये। न सरकार वहां खुद काम करती है न उनको नेशनलाइज करती है और न राज्य सरकार को करने देती है जिससे कि वे कोआप्रेटिब्ज के माध्यम से चला सकें।

मजदूरों का क्या दोष क्या है। हम हर्गिज यह नहीं कहते हैं कि आप इनको प्राइवेट

लोगों के हवाले कर दें । उसके हम खिलाफ हैं । लेकिन आप उनको भी नहीं दे रहे हैं और एक लाख आदमी अकेले बिहार में एमरजेंसी के दौरान से लेकर आज तक बिलबिला रहे हैं, यह देखना भी तो आपका कर्तव्य है । वहां बड़ा भारी बेकारी का सवाल लोगों के सामने है । उनको आप कौन सी रोजी या रोजगार देना चाहते हैं इस पर भी आपको विचार करना चाहिये । राष्ट्रीयकरण का जो उद्देश्य है वह बहुत अच्छा है । यह एक आदर्श चीज है । लेकिन इस बिल में क्या आप इन एक लाख आदमियों का भी कुछ ख्याल करने जा रहे हैं या नहीं यह आप बतायें । क्या आप चाहते हैं कि वे सत्याग्रह करें, दिल्ली मार्च करें या पटना में प्रदर्शन करें जहां आपका दफ्तर है या रांची या धनबाद में जहां आप के दफ्तर हैं वहां सत्याग्रह करें तब आपकी आंखें खुले । क्या तभी आप इन बेकार और बेरोजगार लोगों की सुध लेंगे, तभी उनकी बेकारी की समस्या को हल करेंगे ?

भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया है । खूब लूट जो चल रही है उसका कई मित्रों ने उल्लेख किया है । मैं उसकी अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं । मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप एक लाख मजदूरों को खपा नहीं सकते हैं तो उनकी आप कोआप्रेटिव सोसायटी बना करके उनको यह काम सौंप सकते हैं । आपके अफसर जिन माईज के बारे में कहते हैं कि वे अनइकोनामिक हैं वे उनको इकोनोमिक बना करके आपको दिखा देंगे । जो अनइकोनामिक आपके अफसरों के लिए होती है वे मजदूरों के लिए इकोनोमिक हो जाती हैं मुझे मालूम है कि ढोड़ी कोलियरी जोकि बेरमों के पास है उसको मजदूरों ने कोआप्रेटिव बना करके चलाया है और कुछ नफा करके दिखाया । मैं कहना चाहता हूं कि अगर जैनु इन मजदूरों की कोआप्रेटिव सोसायटी बना करके किसी माइन को चलाया जाए जो कि आपके अफसरों की निगाह में अनइकोनोमिक है तो वह भी इकोनोमिक बन सकती है । आपकी राष्ट्रीयकरण की जो स्कीम है उसमें उन तमाम चीजों का समावेश रहना चाहिए इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

SHRI AINTHU SAHOO (Bolangir): I am thankful to you, Mr. Chairman, for giving me this opportunity to speak on this Bill. Though my name was listed earlier also, I was missing the bus all the time.

I welcome the Bill. At the same time, I sympathise with the Minister because he has taken a ailing baby of the previous Ministry. The nationalisation was made for the sake of nationalisation and it is an ailing baby. According to the Economic Survey, there is a loss of Rs. 45.49 crores. The total amount of loss uptil now will be about Rs. 100 crores and the accumulated loss will come to Rs. 1000 crores. We had a great hope when nationalisation was done. We were thinking at that time that things would be set right. Instead of that things have become bad and now they have become worst.

In the *Indian Express* of 1st May, there is a big news item about 'big scandal of coal at Dhanbad.' You will be surprised to know that 30,000 quintals of coal had been caught by the Civil Supply Officer and the Deputy Commissioner, Shri Devdas Chhotray, because this was unaccounted, unauthorised and unclaimed. The coal was discovered packed in 45,000 gunny bags. You will be surprised to know that this is being done by big business houses as stated by the

[Shri Ainthu Sahoo]

Deputy Commissioner. Such types of affairs are going on in the nationalised coal mines. It is an economic loss. Coal is called the black diamond. It has become a betrayal of our economy. I was talking to the Delhi people the other day. They told me that the Janata Government should give us five items at cheap cost i.e. wheat, rice, coking coal, kerosene and oil. Now, the coal prices are going up. Certainly, it will hit the consumers of poor communities. If the people revert to wood, there will be ecological imbalance and the whole place will look like Rajasthan desert. That is why it is time now also to ask the village people to burn coal or gas in their houses instead of wood for cooking purposes. In Israel, you will find the desert has been converted into a green forest and the climate completely changed. They used to cut all the trees in the past because there was freedom to cut trees and now government is doing afforestation.

I want to draw the attention of the hon. Minister to a few things. In regard to the Sudama Dih colliery, you know how the previous Government put everybody in difficulty. There was a contract with Poland worth Rs. 17 crores and now it has gone up to Rs. 65 crores. As to how much coal they will be producing, it will be only 2,500 tonnes. This is the condition of the colliery. The nationalisation of coal is always like taking over an ailing baby. In the public sector, we have got nine big units out of which six units are making a profit which is eaten away by the Coal India Ltd. and its subsidiaries.

The hon. Minister has rightly brought forward this Bill to plug the loopholes and take care of the working of coal mines, Dr. Lohia, when he was alive, had said that there should be nationalisation but not for the sake of nationalisaion. Nationalise the sick units and see that it makes profit. In Great Britain, they have said that nationalisation has become a luxury for them. We should avoid nationalisation for nationalisation's sake and misuse the poor tax payers money. As regards Rs. 1000 crores which we are losing, it is the poor tax-payers who are paying. Nationalisation for nationalisation's sake will not help the growth of our economy. You will find in today's paper that we are going to lose 2 million man-days in every month due to labour unrest. This is the figure of man-days lost. Again, this is what the Economic Times says: "The production hits about Rs. 500 crores mark this year due to labour unrest." I would request the hon. Minister to see that in respect of those industries or those coal mines which are losing, he is earnest about cutting down the unnecessary expenses and improving their working. With these words, I support the Bill.

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री रामदास जी, ~~श्री बाबू, श्री युवराज~~ और डा० ~~समन्जी~~ सिंह ने अपने विचार रखे हैं। मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण का मकसद क्या था? राष्ट्रीयकरण और सरकारीकरण यह दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हम लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहे हैं और सरकारीकरण के विरोध में हमेशा रहे हैं। लेकिन जो अभी राष्ट्रीयकरण है वह राष्ट्रीयकरण बिल्कुल सरकारीकरण है। इसको हम राष्ट्रीयकरण नहीं कह सकते। राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप जिस संस्था में हो और जो बिल्कुल स्वायत्त रूप से अपना संचालन करे वह राष्ट्रीयकरण है। लेकिन सरकार का कानून, सरकार का चंगुल, सरकार का नियन्त्रण और सरकारी अफसरों का तन्त्र रहे और तब उसको राष्ट्रीयकरण कहें, यह कभी नहीं हो सकता है। यह तो बनी बनाई वही चीज़ है जो राष्ट्रीयकरण

की परिभाषा की गई थी सामाजवदी राज्य कांग्रेस शासन में। उसी को जनता सरकार कर रही है। इसलिये राष्ट्रीयकरण के सवाल पर आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना है। जान बुझ कर के सार्वजनिक क्षेत्र में जो संस्थायें और उद्योग हैं उनको घाटे में चलाया जाता है। इसके पीछे सरकारी अफसरों और देश के निजी पूंजीपतियों का षडयन्त्र है। जो सरकारी अफसर हैं वह चाहते हैं, बड़े पूंजीपतियों से सांठगांठ कर के, कि सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार बराबर घाटे में चलते रहें, और जब ऐसा रहेगा तो उनसे लोगों के दिमाग में यह भ्रम पैदा होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र कभी लाभ में नहीं चल सकता है इसलिये निजी क्षेत्र अच्छा होगा और उनकी तरफ लोगों की दृष्टि आकर्षित हो। इसलिये सरकारी अफसर षडयन्त्र कर के, बड़े पूंजीपतियों से मिल कर के सार्वजनिक उद्योग को निरन्तर घाटे में चला रहे हैं। चाहे जिस क्षेत्र में हो, कोयला हो, इस्पात हो, जहां सरकार ने छुआ वहां मूआ। जिस संस्था में सरकार के हाथ लगे वह गलना शुरू हो गया, उसके अंग-प्रत्यंग गलने लगते हैं। एक तरफ़ निजी क्षेत्र में नफा होता है, जब कि दाम दोनों के बराबर हैं चाहे वह टाटा का इस्पात हो या भिलाई का इस्पात हो, या कोयले का दाम हो, दाम दोनों के बराबर रहते हैं, फिर क्या कारण है कि निजी क्षेत्र में नफा होता है और सार्वजनिक क्षेत्र घाटे में चलता है? जब से कोयले के खानों को हमारे बिहार में सरकार ने अपने हाथ में लिया, राष्ट्रीयकरण किया, तब से निरन्तर वह घाटे में चलता चला जा रहा है। क्या कभी इस बात की जांच करने की कोशिश की गई है कि यह घाटा क्यों हो रहा है? एक तरफ सरकार और संस्था को घाटा होता है, और दूसरी तरफ अफसरों की, जो सफेद हाथी हैं, निरन्तर बिल्डिगें पर बिल्डिगें बनती चली जा रही हैं, उन के ठाट-बाट, ऐशो आराम और शानो शौकत में कोई कमी नहीं है। चाहे वह बिड़ला का एजेन्ट हो, टाटा का मैनेजिंग डायरेक्टर हो और चाहे सरकार का मैनेजिंग डायरेक्टर हो। लेकिन बिड़ला और टाटा का मैनेजिंग डायरेक्टर तो ईमानदारी और सक्षमता के साथ अपने उद्योगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार करता है, जबकि सरकारी अफसर भ्रष्टाचार करता है अपने ऐशो-आराम, ठाट-बाट, शानो-शौकत और जीवन की सुविधाओं के लिए—उस की दृष्टि लाभ की ओर नहीं होती है। इस लिए सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकरण के सवाल पर सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा।

अभी ठेकेदारों का प्रश्न उठाया गया है। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, लेकिन अंग्रेजी लिखने वालों से मैं कहूंगा कि अगर कानून में अंग्रेजी के माध्यम से कोई दांव-पेंच करने का प्रयत्न किया जायेगा, तो हम उस को समझ लेंगे। इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्ज के भाग (ई) में कहा गया है कि जो दावे टाइम-बार्ड हो गये थे, उन्हें पुनर्जीवित किया जायेगा। वे दावे टाइम-बार्ड हो गये थे, या तो वह गलत काम हुआ, या अब उन्हें फिर से जीवित करना गलत काम है। दोनों में से एक काम को गलत मानना होगा। आखिर यह सरकार कहां जा रही है?

श्री रामदास सिंह ने ठीक बात कही है। हम उस इलाके के रहने वाले हैं, जहाँ सरकारी अफसर निजी क्षेत्र में खदानें चलाने वाले बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ मिले हुए हैं। उन को पकड़ना भारत सरकार के बस में नहीं है, क्योंकि उनके अफसर उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, उन के साथ दोस्ती करते हैं, उन के यहां दावत खाते हैं। जो लोग निजी क्षेत्र में खान चला रहे है, वे इतने शक्तिशाली और ताकतवर हैं कि चाहे जिस के सीने पर गोली दाग़ दें। वी०पी० सिन्हा को इसी लिए गोली मार दी गई कि वह समाजवादी

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

विचार धारा का अ.दर्मी था, निरन्तर बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करता रहा। वहां के अधिकारी और कुछ मजदूर नेता चाहते थे कि यह कांटा हमारे रास्ते से हट जाये। इस लिए उन की हत्या करवा दी गई।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो विधेयक लाया गया है, अगर वह राष्ट्रीयकरण के लिए हो, राष्ट्र की उन्नति के लिए हो, मजदूरों के कल्याण के लिए हो, पूंजीवाद पर अंकुश लगाने के लिये हो, निजी क्षेत्र पर रोक लगाने के लिए हो और सार्वजनिक क्षेत्र को मुनाफे में चलाने के लिए हो, तो इस का समर्थन जरूर होना चाहिए। लेकिन मुझे यह भी शंका होती है कि जब हम लोग बोलते हैं तो ऊर्जा मन्त्री, श्री रामचन्द्रन, हमारी बात को समझ भी पाते हैं या नहीं और वह इस बारे में कुछ कर पायेंगे या नहीं। लेकिन हमें भरोसा है कि जनता पार्टी की दृष्टि और दिशा के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी और इस पर कार्यवाही करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन इस आशा और विश्वास के साथ करता हूं कि आने वाले दिनों में जनता पार्टी प्रगतिशीलता की ओर बढ़ेगी, समाजवाद की ओर बढ़ेगी और निजी क्षेत्र पर रोक लगा कर सार्वजनिक क्षेत्र को मुनाफे में चलाने के लिए एक स्थायी आयोग की नियुक्ति करेगी, जिस के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले घाटे की निरन्तर जांच होती रहे। मैं चाहता हूं कि बिहार के कोयला क्षेत्र में जो अफसर दस दस बरस से अपनी बपौती बना कर बैठा हुआ है और सांठ-गांठ कर के लूट रहा है, गिरोह बना कर लूटने का काम कर रहा है, ऐसे अफसर को कान पकड़ कर हटा दिया जाये, वहां से बदल दिया जाये। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में जनता पार्टी राष्ट्रीयकरण के सवाल पर अपनी दृष्टि को बदलेगी।

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister, how much time would you take?

SHRI P. RAMACHANDARAN: Fifteen-twenty minutes.

MR. CHAIRMAN: Three more Members are there. I would like to accommodate them.

SHRI K. S. CHAVDA (Patna): If the House agrees to etxend the time beyond six, that is, about half-an-hour, then we shall finish it.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the time be extended by half-an-hour?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: So, it will go upto 6.30 P.M.

SHRI K. GOPAL (Karur): Or till the Bill is disposed of.

श्री राम सेवक हजारी (रोसड़ा) : सभापति महोदय, काले हीरे के ऊपर जो संशोधन आया है उस के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। कोयले को काला हीरा कहा जाता है। लेकिन जो काला हीरा निकालने वाला मजदूर है वह नंगा और भूखा है। वह पहले भी था और आज भी है। उन मजदूरों को बहुत बड़ी बड़ी आशाएं थीं कि सरकार बदलेगी तो कुछ हमारे लिए होगा। लेकिन नहीं हुआ। पहले भी एक कथा के रूप में लोग कहते थे इंदिरा जी के बारे में कि जिधर वह हाथ देती हैं वहीं स्वाहा हो जाता है, मुझे लगता है कि हमारे रामचन्द्रन् साहब भी शायद उसी राशि के हैं क्योंकि इन के आने के बाद भी वही स्थिति है, 88 करोड़ रुपये का घाटा है। जिस खदान से निकलने वाले कोयले की कीमत पहले 27 रुपये और 40

रुपये टन थी उस की कीमत आप ने 84 रुपये और 94 रुपये टन कर दी। दो गुनी और ढाई गुनी कीमत ले रहे हैं, मुनाफा आप को हुआ हैं लेकिन फिर भी खदान घाटे में चले यह कोई युक्तिसंगत बात नहीं है। इतना ही नहीं, यह डी वी सी का कोल इंडिया लिमिटेड जो इन का विभाग है उस के साथ यह चल रहा था। डी वी सी पहले से काम कर रहा था लेकिन डी वी सी को नहीं लिया टाटा वहीं पर चला रहा है लेकिन डी वी सी को इन्होंने हटा दिया। जो सरकारी विभाग था जो पहले चला रहा था उस के हाथ से काम छीन लिया गया। मैं चाहूंगा कि इस की तरफ आप सजग हों।

जिस समय राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय मजदूरों के साथ वहां बहुत अन्याय हुआ। जो मजदूर वहां पहले से काम कर रहे थे, जो वर्षों से लगे हुए थे उन को वहां नहीं रखा गया। उन को बड़े पैमाने पर हटाया गया। हजारों मजदूर चले गए। इसी तरह सी सी एल में और डी सी एल में जो लोडिंग मजदूर थे उन लोगों को बड़े पैमाने पर हटाया गया और इसलिए हटाया गया कि वे उन के मन के लायक नहीं थे। जो इन के अधिकारी गए थे। क्यों कि जो मजदूर चोरी में इन का साथ दे, जो इन के अफसर चोरी करते हों, गोलमाल करते हों, उस में उन की हां में हां मिलाता रहे या चुप्पी साधे रहे वह मजदूर उन के लिए ठीक था। मगर जो पहले के मजदूर थे जो अपनी आवाज बुलन्द कर सकते थे ऐसे मजदूरों को हटा दिया गया।

आप को याद होगा चासनाला खान दुर्घटना हुई थी। हम लोग उस समय जेल में थे। अखबारों में समाचार आया था। खान की जब खुदाई होती है तो वह नीचे गहराई तक चले जाते हैं तो उस में पानी आ जाता है। नियम यह है कि जब पानी उस में आ जाय तो उस को मिट्टी से पाट दीजिए। उस में लाखों लाख रुपये का बिल बनता है लेकिन उन खदानों को मिट्टी से भरा नहीं जाता है। अधिकारी लोग लाखों रुपये को झूठा बिल बना कर पैसा खा जाते हैं और उसी का नतीजा यह हुआ, उसी का जीता जागता उदाहरण यह चासनाला दुर्घटना है। जो वहां भ्रष्ट अफसर हैं उन का जीता जागता नमूना यह चासनाला दुर्घटना है। अगर उस खान में मिट्टी भर दी जाती तो वह दुर्घटना नहीं होती और जो सैकड़ों हजारों जानें लोगों की गई वह नहीं जातीं। जो अफसर उस के लिए दोषी ठहराए गए उन के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या आप से लोग यही उम्मीद रखते थे कि आप भी उसी तरह काम करेंगे जिस तरह से पिछले तीस वर्षों में किया गया और जिस तरह मजदूरों के साथ अन्याय उस समय किया गया वही अब भी होता रहेगा? जो भ्रष्ट अफसर उस के ऊपर अपना अधिपत्य जमाए हुए थे क्या आप का भी वरद हस्त उन के माथे पर उसी तरह रहेगा? मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप इस की जांच कराइए और आप यह नियम भी बनाइए, जब कीमतें बढ़ती हैं तो जो प्राइवेट खान वाले थे उन को हजारों और लाखों का फायदा होता था, तो आप को क्यों घाटा हो रहा है? यदि आप को घाटा होता है तो आप उन अधिकारियों पर सीमा बांधिए, यदि वे मुनाफा नहीं करते हैं तो उन को हटाइए, उन के ऊपर मुकदमा चलाइए, उन को मुजरिम बनाइए। लेकिन यह होता नहीं है क्योंकि दक्षिण बिहार की किसी खान में यदि कोई अफसर है तो उस के साथ लगा हुआ दिल्ली के सेक्रेटैरिएट तक उस का सोर्स है। जो आज हमारे मंत्री जी हैं उन के लिए मैं नहीं कह सकता, मैं यह आरोप उन पर नहीं लगाना चाहता लेकिन पहले के जो लोग रहे हैं ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले उन तक उन अधिकारियों की पहुंच रहती थी और यदि आप ने अभी तक यह काम नहीं किया है तो हो सकता है कि उन की पहुंच आप तक भी न हो जाय। इसलिए आप जनता को संतोष दिलाने के लिए और जो वहां लाखों लाख मजदूर हैं जिन का शोषण किया जा रहा है उन के हितों की रक्षा के

[श्री राम सेवक हजारी]

लिये सही नीति अपनाइए। आप जनता से अधिक पैसा लेते हैं लेकिन उस से जो मुनाफा है वह कुछ लोग अपनी जेब में डालते हैं। टाटा कोलियरी का आप नेशनलाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? उस का नेशनलाइजेशन करना चाहिए। जो विधेयक आप यहां पर लाए हैं मैं उस को कोई अधिक कारगर विधेयक नहीं मानता हूं। मैं चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं उन को भी आप बांधने का काम करें। साथ ही मुनाफा भी होना चाहिए जैसे प्राइवेट खानों में होता है। यदि वे इस प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो उन के खिलाफ आप को कड़ी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। साथ ही मजदूरों की जो दिक्कतें हैं और असुविधाएं हैं उन पर भी आप को ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I would like to say one thing. We could not have a full-fledged debate on the Ministry of Energy in this Budget Session and so we have got only one opportunity to speak something on this Act....

MR. CHAIRMAN: You will be called after Shri Balbir Singh.

SHRI A. K. ROY: The debate should be extended.

MR. CHAIRMAN: The House has to take a decision for extension.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर): सभापति महोदय, कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण में जो त्रुटियां रह गई थीं उनको दूर करने के लिए मंत्री महोदय ने यह संशोधन विधेयक पेश किया है। राष्ट्रीयकरण जो है वह क्यों होना चाहिए? इसकी जो मंशा है वह यह है कि लोगों को सस्ते भाव पर चीज मिल सके और जो मुनाफा प्राइवेट सैक्टर वाले उद्योगपति उठा रहे हैं वह सारा मुनाफा राष्ट्र के हित में लगे। यही दो सब से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। लेकिन कोयला उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उससे ये दोनों मसले हल नहीं हो सके। दोनों बातें नहीं मिल सकीं। एक तो लोगों को सस्ता कोयला मिलता उसमें सरकार फेल हो गई और उसका मुनाफा राष्ट्र के हित में काम आता वहां मुनाफे के बजाय घाटा शुरू हो गया। इसलिए इसमें देखने की जरूरत है कि पिछली सरकार ने पांच छः साल में राष्ट्रीयकरण के जमाने में कितना घपला और कितनी गड़बड़ी की। कहां कहां किस ढंग से काम किया कि बजाय मुनाफे के घाटे में चले गये? एक साल में आप उसको कितना देख सके हैं यह मंत्री महोदय हमें जरूर बतायें। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ 6–7 साल में पहली सरकार ने क्या क्या गड़बड़ी की है उसके बारे में आज तक आप किस स्टेज पर पहुंचे? नफे वाली चीज घाटे में बदल जाय और वह भी उस शक्ल में घाटा हो जाय जब राष्ट्रीयकरण होने के बाद कीमतों में तीन गुना इजाफा हो गया यह सोचने की बात है। अगर आपने मजदूरों को तीन गुनी मजदूरी दी होती तब भी हम समझ लेते कि राष्ट्रीयकरण के बाद मजदूरों को तीन गुनी मजदूरी देने के कारण कोयले की कीमत तीन गुना बढ़ गई। लेकिन आप ने मजदूरों को तीन गुना वेतन या एलावेंस नहीं दिया है। तब यह सवाल उठता है कि तीन गुना खर्चा न करने के बाद भी कोयले का दाम तीन गुना क्यों बढ़ गया। यह महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब लोग हम से मांगते हैं। जब मजदूर को तीन गुनी मजदूरी नहीं मिली तो कीमत तीन गुना क्यों बढ़ गई? हिन्दुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जहां सब से ज्यादा कोयला मिलता है। कुदरत ने हम लोगों को मालामाल कर रखा है तो उसे ठीक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। आज पोजीशन क्या है।

कोल के मंत्री यह कहते हैं कि कोयला हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है और रेलवे मंत्री कहते हैं कि वैगन्स हमारे पास बहुत पड़ी हैं और जब भी इनकी डिमांड आयेगी, तो वैगन हम इनको दे सकते हैं। जब डिमांड आती है तो वैगन इनको देते हैं, यह भी वे कहते हैं। लेकिन जब ये दोनों चीजें हैं कि कोयला इनके पास पड़ा हुआ है और वैगन उनके पास पड़े हैं, तो फिर कौन इस बात के लिए जिम्मेवार है कि सारे देश में कोयले का संकट है। किस कारण भट्टों पर कोयला वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा है और ईंटों का भाव आगे से दुगना हो गया है। इस सारी स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है। या तो कोल मंत्री जी यह कहें कि कोयला कम पैदा हुआ है और हम काफ़ी कोयला निकाल नहीं सके हैं या फिर यह कहें कि आन्ध्र में तूफ़ान आ गया है और सारा कोयला वहां चला जाता है और या कोई और वजह दें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। होता क्या है कि किसी न किसी बात के लिए किसी को स्केपगोट बना लिया जाता है और सारा इल्जाम उस पर थोप दिया जाता है। जो सरकारी महकमे में कर्मचारी होता है, किसी को तो आगे आ कर कहना चाहिए कि इसके लिए यह जिम्मेदार है लेकिन होता क्या है कि कभी कुदरत को जिम्मेवार बनाते हैं और कभी कुछ कहते हैं। रेलवे मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास वैगन मौजूद हैं और कोल मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोयला मौजूद है। फिर क्यों नहीं कोयला पहुंच सका। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है।

18.00 hrs.

श्री के० गोपाल (करूर) : जनता सरकार।

चौधरी बलबीर सिंह : जनता सरकार की बात आप उठाते हैं, तो मैं इसका भी जवाब दूंगा। इसमें आपका भी हिस्सा है। कहते हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला। इन पिछले सालों में उस दलाली में आप लोग रहे और आप कहते हैं कि इस कोयले की दलाली से निकलो। हम किसी के दलाल नहीं बन सकते, कोई अफ़सरों का दलाल नहीं है। देश में लोगों को कोयला मिले इसके लिए जनता पार्टी के जो मेम्बर हैं, वे सरकार से कहेंगे। हमारा आपकी तरह से मुंह बन्द नहीं है, आपकी तरह से हमारी जबान बन्द नहीं है। इमर्जेन्सी के जमाने में जो मुल्क में हुआ, उसके बारे में आपकी जबान नहीं खुली, जो आपके बड़े बड़े लोग थे, उनकी कोई हिम्मत बोलने की नहीं हुई। इतने बड़े ओहदों पर वे बैठे हुए थे और उनकी जबान बन्द थी और वे बोल नहीं सकते थे। संजय गांधी ने जो किया था, उसके लिए आप कुछ न बोल सके और इन्दिरा गांधी की हुकूमत में जो कुछ हो रहा था, उसके लिए आपकी जबान बन्द थी और जनता पार्टी में आपने देखा कि यहां पर जब प्रिवेन्टिव डिटेंशन बिल आया था, तो उसके लिए जनता पार्टी के मेम्बरों ने क्या कहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं . . . (**व्यवधान**) . . . मैं आपको भी समझा दूंगा जो जो आप करते रहे हैं। हम से छेड़-छाड़ मत कीजिये. . . (**व्यवधान**) . . . अगर हमने कहना शुरू कर दिया तो आपकी जबान बन्द हो जायेगी। मैं यह कह रहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जब बिल इस हाऊस में ले कर आये तो जनता पार्टी के मेम्बरों ने कहा कि किसी ढंग से और किसी शक्ल में भी लोगों की आजादी पर वार होता हो, तो हम बर्दास्त नहीं करेंगे और जनता पार्टी के मंत्री को वह बिल वापस लेना पड़ा। आप जनता पार्टी की बात करते हैं। उसमें जिम्मेवार लोग बैठे हुए हैं, वे लोग बैठे हुए हैं जो लोगों से वायदा करके आये हैं कि हम देखेंगे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। जो बात जनता के खिलाफ़ होगी, उसके बारे में हम अपनी आवाज उठायेंगे लेकिन बात यह है कि सूरज निकला तो उल्लू को नजर नहीं आया। जो 30 साल की गन्दगी फैला कर पिछली सरकार गई है, उस गन्दगी को साफ़ करने में वक्त तो लगेगा ही और

[श्री चौ० बलबीर सिंह]

उस गन्दगी का एक नमूना यह कोयले की इन्डस्ट्री है। कोयले की जो इन्डस्ट्री है, उससे सब परेशान हैं। हम लोगों को जवाब देना पड़ता है कि हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। इन कीमतों को किस ढंग से नीचे लायें, यह सवाल मैंने मिनिस्टर साहब से किया था। इन कीमतों को नीचे लाना है और साथ ही मजदूरों की हालत को बेहतर बनाना है। मजदूर लोग खानों में मर जाते हैं। उनकी सुरक्षा भी करनी है। ये सारी बातें आप करेंगे तो यकीनन लोग आपका साथ देंगे। आपका नाम ऊंचा होगा। कांग्रेस सरकार ने देश में जो गिरावट पैदा की, उसको जनता सरकार ने ठीक किया है। अब मजदूरों को ज्यादा पैसा मिलेगा और आम आदमी को कोयला सस्ता मिलेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : मान्यवर, कोयला खान राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक जो माननीय मंत्री जी की तरफ से प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं। कोयला हमारे राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आज देश के अन्दर पावर की शार्टेज है और इससे तरह-तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके लिए कोयले का अभाव ही मुख्य कारण है। मान्यवर हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में कोयले का उत्पादन बहुत कम हो रहा है। रूस के अन्दर 70 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उत्पादन होता है। चाइना में 40 करोड़ टन वार्षिक उत्पादन हो रहा है। हमारे देश में तीस वर्ष के पश्चात् भी दस करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। चाइना हम से दो वर्ष पश्चात् स्वतंत्र हुआ था, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था। हमारे यहां इसका उत्पादन उस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक कि होना चाहिए था।

मान्यवर, आज हमारे देश के अन्दर डेढ़ अरब टन गोबर जलाया जा रहा है जो कि देश के लिए बहुत घातक है। हमें दूसरी खादों का प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका कारण भी यही है कि हम कोयले को देहातों के अन्दर नहीं पहुंचा पाये हैं जिससे कि डेढ़ अरब टन गोबर बचाया जा सकता है। इसके साथ 15 करोड़ टन लकड़ी हर साल जला दी जाती है। इतनी मात्रा में लकड़ी केवल जलाने के काम में आ रही है। इसका भी मुख्य कारण यही है कि हम कोयला पहुंचाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं। 15 करोड़ टन लकड़ी जलाने के कुप्रभाव पड़ रहा है, सायल इरोजन हो रहा है, रेगिस्तान बढ़ रहा है। संसार में बहुत सारी सभ्यताएं इसी कारण से नष्ट हो गयी हैं। आज बेबीलोन की सभ्यता का कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं है। यदि यही सिलसिला हमारे देश में भी चलता रहा तो हमारे देश के अन्दर भी रेगिस्तान बढ़ेगा। हर साल रेगिस्तान की मात्रा हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। यह हमारे लिये घातक चीज़ है।

मान्यवर, जब इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसी एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्स से किया गया था कि देश के अन्दर कोयले का उत्पादन बढ़ा कर हम देश की समस्याओं का समाधान करेंगे। जितनी मात्रा में यह उत्पादन बढ़ना चाहिए था, उतनी मात्रा में यह नहीं बढ़ा है। इसके साथ साथ मान्यवर, हमें इसके उत्पादन में दस रुपये टन का घाटा पड़ रहा है। इसका सीधा-सादा अर्थ यह हुआ कि हमें हर साल 80-90 लाख रुपये का घाटा उठाना पड़ता है। कोई भी सरकार इस तरह से घाटा सह कर अधिक दिन तक टिक नहीं सकती है।

मान्यवर, राष्ट्रीयकरण के पूर्व जिन लोगों के हाथों में यह उद्योग था वे करोड़ों रुपये, अरबों रुपये के मालिक बन गये हैं। आज हमें इस उद्योग में हानि हो रही है। इस पर हमें निश्चित रूप से विचार करना होगा। विचार कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, मिनिस्टर

करेंगे। पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन होता है? जनता के नुमाइंदे होते हैं। अगर हम लोग इसकी अवहेलना करेंगे, लापरवाही करेंगे तो यह लोगों के साथ अन्याय होगा, कुठाराघात होगा।

आज जो उत्पादन बढ़ाने की बात कही जा रही है, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरीके से यह उत्पादन बढ़ाया जा रहा है? नयी सीमाएं खोली जा रही हैं या उन्हीं सीमाओं में और गहराई में जाया जा रहा है? यह तो इस प्रकार का धंधा है जैसे सोने के अण्डे देने वाली मुर्गी से अगर चाहें कि उसको मार कर एक दिन में ही सारे अंडे निकाल लें तो वह मुर्गी तो मर जायेगी लेकिन आपको सोने के अंडे नहीं मिलेंगे। यह व्यावहारिक कदम नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे कि तेजी से उत्पादन करते चल जायें और पिल्लर्स को फेंकते चले जायें तो वे आहिस्ता आहिस्ता करके सीमाएं लुप्त होती चली जायेंगी। इस समय जितने कोयले का उत्पादन हो रहा है अगर इसको चार गुना बढ़ा दिया जाये दस करोड़ के बजाय चालीस करोड़ कर दिया जाये तो अगले पांच सौ वर्ष तक हम लगातार कोयले का उत्पादन करते रह सकते हैं। इतना भंडार कोयले का हमारे देश में है। अगर हमने भी अंग्रेजों की तरह से गलत ढंग अपनाया तो हमारा अहित होना अनिवार्य है। उन्होंने तेजी के साथ उत्पादन करके हमारी अनेक कोल माइंज़ को बरबाद कर दिया था और तरह तरह से कोल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया था। मैं चाहता हूं कि आप यह जो सारी समस्या है इस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनायें जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ साथ कुछ एक्सपर्ट लोग भी हों जो पता लगायें कि घाटा क्यों हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज कोयले की कमी के कारण तरह तरह की समस्यायें आ कर हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। भट्टे वाले तथा दूसरे लोग कोयले के अभाव के कारण मर रहे हैं। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि धनबाद कालियरी की तरह से और भी जगह दो प्रकार के रेट्स चल रहे हैं। अगर कोई व्यापारी लेने के लिए वहां जाता है तो उससे जो दलाल लोग होते हैं वे पूछते हैं कि कौन से रेट पर लेना चाहते हो। इसका सीधा सा यह अर्थ निकलता है कि वहां के अफसर लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के गुट बने हुए हैं कि उनके माध्यम से सरकार को लगातार नुक्सान हो रहा है और कोल इंडस्ट्री को चौपट करने की कोशिशें हो रही हैं। यह गम्भीर विचार का विषय सरकार के सामने है। एक तरफ घाटे का सवाल है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ाने का सवाल है। यह जो एक आर्थिक पहलू है इस पर आपने विचार नहीं किया तो भविष्य में हमारे सामने एक भयंकर समस्या आ कर खड़ी हो सकती है।

मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक से आप उन बुराइयों को नष्ट कर सकेंगे जोकि पिछले संशोधन में नष्ट होने से रह गई थीं और जो बनी चली आ रही थीं।

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I shall stick only to the provisions of the Bill.

I wonder whether there is any necessity of changing this Bill in the House. Will it remove the bottlenecks retarding the progress of the industry? I do not think it will do so.

With the coming of the Janata Government everywhere there is a sort of liberalisation. I should say there is a wave of liberalisation. There is liberalisation in licence, in import, in corruption, etc. It also aims at liberalisation of giving more money,

[Shri A. K. Roy]

more compensation to the ex-owners. This is the sole motive of this Bill. This Bill does not protect the interests of the workmen. It does not help the workmen to get the amounts due to them expenditiously. But this Bill aims at giving more money quickly and liberally to the ex-owners.

In Clause 2—Current Assets of the Bill—they have excluded specifically 'money, assets of the ex-employers'. I would like to tell the Minister that in most of the cases in the collieries the liabilities are more than the assets. These owners have not paid provident fund. They have not paid all the dues of the Bihar Government from their assets. They have not paid the workers dues. They have completely damaged the mines. The total amount of dues and liabilities would be more than the assets. Today you exclude the current assets from all their property, from all their wealth. Tomorrow when your Compensation Commissioner evaluates and finds that the liabilities would be more than the assets, how will you compensate that thing? What control will you have to do that kind of a thing?

So, Sir, I oppose this Bill for this reason. Until and unless the total assessment is made by the Compensation Commissioner or by the experts as to what would be the liabilities, what would be the assets, etc. we cannot realy advise the Government to liberalise its control, its anchor, on private enterprise.

I would like to tell you one thing. Here they have said this. In the original Bill, previously, what they have said was this. They have said that only the claimant has got the right to go on appeal. They have said, it is only the claimants who have got such a right to go on appeal, if they are dissatisfied with the judgment of the Compensation Commissioner. But here, what they say is this: Both the claimant and the owner can go on appeal. What happens is this. The poor worker gets some award. The BCCL, CIL, etc. may decide not to go on appeal. The poor worker will never be able to get justice there.

So, Mr. Chairman, Sir, I would like to impress upon you about this difficulty which they are facing in the coalfields.

If the Minister really wants to do justice to the workmen, he should amend Clause 9 of the Coking Coal-mines Bill. What does Clause 9 say? It says: Regarding all the tribunal awards, all the gratuities, everything, of the workers' dues, in respect of the old company, the new nationalised company will have no liabilities to discharge if the worker is dismissed if it is proved that the worker is dismissed unauthorisedly, illegally, even if his case is decided today, he will have to seek employment from that old company which is no more there.

If he has got claims of gratuity, he cannot get them from BCCL. He has got to go to that owner who is no longer there. That is the position here. In this way the entire justice was being denied to the entire old workmen. We need to amend this now.

Only last month, in March, the Supreme Court gave a judgment. The case was like this. The BCCL applied against the award of a tribunal. They said: We are not liable to pay anything to the workmen because we are not to take over the liabilities of the previou management. This was their contention. The Supreme Court gave a unique judgment. They said, your workers are not liabilities; your workers are your assets. So, you are duty bound to take the entire responsibility to accommodate the workers today.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A. K. ROY: I need two minutes more, because I like to tell all these things to the hon. Minister. This is the only opportunity we have

to point out these things, and we are from the coalfields. Daily we are battered from all sides. So, I request you to give me two more minutes.

MR. CHAIRMAN: No please. Please conclude in one minute.

SHRI A. K. ROY: A number of hon. Members said, the coal industry is going into loss and this and that.

Only today you see what has come in the *Times of India*. In the front page there is a big news items regarding coal scandal. I know this. A month back I was there. Some people came hurriedly to us and they told us: "You see in Bagha, you see in Jharia, thousands and thousands of gunny-bags of coal are lying there. You should intervene." I immediately got it checked up. I informed the Administration. The entire thing was caught. We don't know how much quantity was smuggled before. But today nearly 90,000 bags were found. They were lying unclaimed. There is nobody to claim anything. We do not know to whom that coal belongs. We don't know how that coal has come there. You make an enquiry thoroughly. You will find that the coal involved is coking coal. Where from has the coal come? How long the smuggling of coal of this type went on? You may say that captive mining is one of the reasons. For that only 30 per cent of the coal used to be extracted from the mines whereas 60 to 70 per cent of the coal could be extracted. You know, Mr. Chairman, coal is a wasting resource. Once you take that out, it cannot be regenerated.

So, the necessity arises to stop this waste of precious coal. We have to nationalise it. In collieries, till today, captive mining is going on. And you would be surprised to know that 80 million tonnes of coal is burnt in Dhanbad District alone. Nothing could be done about it. Anyway, I would like to tell you that to-day the position is this. It is said the cost of labour is 70 per cent of the total cost of coal produced. I would like to ask—What is the character of this cost? After nationalisation, there is complete unproductive overhead on coal. They have eliminated the productive capability of workmen. So, I ask the Minister that instead of bringing in this type of a Bill so as to give money to the ex-coal-owners, he will kindly bring in a more effective Bill so that the coalmines which are our biggest assets could be saved and thereby our country can prosper.

SHRI P. RAMACHANDRAN: Mr. Chairman, Sir, I am very happy to note that a number of hon. Members have participated in the discussion and they have tried to give some suggestions also.

I would like to dispel one or two doubts raised by the hon. Members in the beginning itself. Mr. Ramamurthy from Tamil Nadu has raised a doubt about the nationalisation of the coal mines. I can assure this House that the Policy of the Government is not to go back upon it. Nationalisation is an acomplished fact and there is no dilution of nationalisation in this respect and it would be effectively implemented.

The other hon. Members also raised a doubt about the availability of coal. With regard to the availability of coal in the Southern States for feding the power stations, it is true that there were some bottlenecks in transport. That has been sorted out and now you will find that there is free flow of coal to the Southern Power Stations. Even day before yesterday, when I was in Madras, the officers came to me and told me that the other problems are removed now and coal is coming on time.

About the Bill, some of the hon. Members have raised one or two points under the impression that this Bill is aimed at helping the ex-coalmine owners. Unfortunately, there seems to be some misconception in this respect. Ex-coalmine owners get

[Shri P. Ramachandran]

the last priority in the matter of disbursement of compensation. I would like to place before the House that when the compensation is decided, the amount that is available with the Compensation Commissioner is being disbursed or will be disbursed in the following order:—

1. Workers' due is the first priority which will include provident fund, wage, pension, gratuity etc. That is the first priority with regard to compensation payable;

2. Second priority is unsecured debts. Mostly the nationalised Banks have advanced the money to the ex-coalmine owners.

3. Third priority is the amounts advanced by the Central Government during the management period for running the mines.

4. Even in the fourth priority (a) the sum due to the State Governments by way of royalty, debt, rent etc.

(b) amounts due under the Workmen's Compensation Act and

(c) Deductions made by the employers from the salaries and wages for provident fund or welfare fund.

5. Fifth priority is: all other claims including the supplies.

Then only, if any money is left after meeting the claims in the above order of priority, that will be paid to the owners, managing contractors and raising contractors, if any.

So, from this, I would like to impress upon the Members of this House that coalmine owners are not going to be benefited by this amendment. They only get the last priority and it is only to help and to see that the other people get not only the priority but also adequate compensation, in inter-State rates are equalised so that the interest that is going to accrue to the money that was deposited with the Compensation Commissioner must have enough interest. Otherwise there may not be enough money. The creditors have advanced money at a very high interest, namely, 15 per cent to 16 per cent. We want to bring it to the level of interest that will acrrue to the deposits made from public funds or any such thing. That is why this provision is made in the amending Act. It is with a view to help the various priority claimants in the matter of compensation.

Then, Sir, we have brought about one or two provisions in order to expedite the compensation payment. Ever since nationalisation—for the last four to five years before the Janata party came to power—the total number of cases disposed of is only 9,000 out of 92,000. Whereas in the course of last eight months after this Government came into power the number of cases disposed of is around 16,000. Our aim is after the passage of this Bill compensation will be paid within the next eighteen to twenty-four months. We want to see that the compensation is paid as quickly as possible so that those who are suffering—the priority sectors particularly—should not be made to suffer more. That is why we have brought forward this amendment. It is more to help the people rather than to help some vested interests.

Some hon'ble Members raised the point regarding current assets etc. There was some ambiguity in the definition of those things. We wanted to make it explicit so that people will not go to the court and go on having enlarged litigation. So, we have tried to define the curernt assets so as to make it easier for the disposal of claims.

Mr. Chairman, hon'ble Members also raised certain points about corruption nepotism, prices, scarcity of coal, etc. I would like to tell the House that during 1977-78 the coal

production has gone up. Apart from that, during 1977-78 we have despatched to various consumers 4 million tonnes more coal than the previous year, that is 1976-77. Our stock position at the end of 31st March this year is 12.5 million tonnes. So, the hon'ble Members will appreciate that adequate quantities of coal are available. May be because of some other reasons we have not been able to despatch coal to the needy places. Because of closure of Gomia factory production of coal got affected for three to four months during the last year but in spite of that the coal industry has done well during the course of last one year. My ministry officials and myself have personally visited the coal mines and made personal appeals to the workers to put in their best to increase coal production. As regards safety and other measures, I would like to say, that during the year 1977-78 as compared to the previous year the accident rate was not only less but also the casualities were less. Even if a single person dies, it is very tragic and we are sorry for it, but at the same time step by step we want to see that these accidents are minimised and the safety measures are implemented to the best degree possible.

Sir, as regards corruption, we have recently opened a vigilance and an inspection cell in the Ministry. They have been asked to make periodical surprise visits to the various coal companies and producing places and detect the malpractices, if any. Whenever any specific instances are brought to our notice, we take expeditious action.

During the course of the debate, a number of points have been raised by many hon. Members. For lack of time, I am sorry I will not be able to meet all the points raised but in a way, broadly, I tried to cover the salient points raised by our friends in this House. The number of points raised are about the corruption in some of the companies and I can assure this House whatever steps are necessary to put down corruption in the coal industry, we are doing it. Mr. Roy mentioned about some scandal in one of the places. I would like to tell this House that the distribution of coal in the local areas is done by the State Government and whenever any instances are brought to our notice, we immediately darw the attention of the State Government to that effect. About illegal mining also, some points were raised. It is true there were a lot of illegal minings which were going on in the past. But after we took over, we tried to draw the attention of the State Governments and instruct them to treat this as a law and order problem and we have been in constant touch with the Chief Ministers of the States where the coal mining is taking place. And at official levels also, our Secretary is keeping in touch with all the Chief Secretaries of the various States and we are trying to put down illegal mining. I cannot dwell upon this more because cases are pending with the Supreme Court. I do not know when the judgement will come. Either today or a few days later it may come. But after the judgement comes, if there are any difficulties experienced, I may come to this House again to get sanction for certain steps that may have to be taken. But as far as the coal industry is concerned, we are trying our best to see that it is put on a proper place.

Some hon. Members have mentioned about the losses and about the arrears.... (*Interruptions*)

SHRI RAMDAS SINGH: There were a lot of corruption cases and illegal mining also.

SHRI P. RAMACHANDRAN: I was menioning about the illegal mining and on this point I have already told and also about the retrenchment and other problems that were raised. After we took over, not a single per-

[Shri P. Ramachandran]

son was retrenched from the coal industry and in fact on the other hand we are trying to find out whether we can legally and also without causing any hardship to anybody employ more people. But, unfortunately already we find in a number of places surplus labour and our problem is to deploy these surplus labour to the places where there is more work, it is not our intention to retrench anybody. When the opportunities arise, we would like to employ more people; when the production goes up, we want to see that more opportunities are given for employment of those people.... (*Interruptions*)

SHRI RAMDAS SINGH: I am told that about 30,000 workers had been retrenched during the Emergency. They were working in those mines and at the loading points. I want to know whether they would be reinstated or not.

SHRI P. RAMACHANDRAN: About the retrenchment of 30,000 workers, I do not know whether they were retrenched during the Emergency or prior to that even. Those cases will have to be gone through and then seen that justice is done. Suppose I start employing those who were retrenched earlier for various other reasons, then there will be no end to it. Unless we formulate firm policies of getting these people back to employment, it will be very difficult. I do not want to make any commitment for the simple reason that there are lakhs of people unemployed. If I just make a relaxation for a particular place without proper examination, it will be opening the flood gates in this point.

About the new coal mines, as and when we find the need for producing more coal, we are sanctioning new schemes also and whenever we sanction new schemes, certainly more opportunities will be given for new employment also. But these are long gastation period projects and they have to be cleared by the Planning Commission. We have to embark on new coal mines and when new coal mines are started there will be more opportunities for new employment.

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : नई कोलमाइन्स बनाने में कितना समय सरकार लेगी, मैं यह जानना चाहता हूं क्योंकि अनएम्प्लायमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है ?

SHRI A. K. ROY: Unless and until scope for employment is created, how can we give more employment? That is what he means to say. What is happening in coal mines is this. Miners and other productive workers are going out of service and retiring or they are retrenched. But we find that non-productive workers, parasites, those people are coming through different doors, with the result you are always loaded with over-employment; that is unproductive over-employment. That is why we say that you should follow certain procedures so that the entry to your colliery must be through productive workers.

SHRI P. RAMACHANDRAN: Yes. Even in this regard we are giving certain new guidelines with regard to employment; it must be production-oriented. We are attending to that. The hon. Member can rest assured that no unproductive labour will be employed in the coming months, whatever might have been done in the past, we want to see that productive labour is employed more and more. With these words, I commend the Bill to the House.

MR. CHAIRMAN: Before putting the motion for consideration to the vote of the House, I shall put the amendment moved by Shri Vinayak Prasad Yadav to the vote of the House, amendment No. 3.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill further to amend the Coking Coal Mines (Nationalisation) Act, 1972, and the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall put the clauses to vote. The question is:

"That Clauses 2 to 18 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 18 were added to the Bill.

Clauses 19 and 20 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. RAMACHANDRAN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.40 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, May 3, 1978/Vaisakha 13, 1900 (Saka).

GMGIPND—866LS—PMR—4-7-78—